न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 29/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांकः 26.4.2017

अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. रामा आत्मज गंगोलिया जाति भील निवासी ग्राम सुदंरपुरा लोईचा तहसील व जिला बूंदी–राज0।
2. कवरिया आत्मज गंगोलिया जाति भील निवासी ग्राम सुंदरपुरा लोईचा तहसील व जिला बूंदी–राज0।

...अपीलाट्स

बनाम

1 रामी बाई पुत्री स्व0 देव्या पत्नी नंदा जाति भील निवासी लोईचा (महादेव का झौपडा) तह0 व जिला बूंदी।
2 बद्रीबाई पुत्री स्व0 देव्या पत्नी नंदा जाति भील निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी।
3 डालीबाई पुत्र स्व0 देव्या पत्नी भोज्या भील नि0 पिंजर माताजी गुवांर (माताजी का नला) तह0व जिला बूंदी।
4 गीताबाई पुत्री गुलाबबाई जातियान भील निवासीगण दूल्हेपुरा तहसील व जिला बूंदी।
5 फोरी बाई पुत्री गुलाब बाई जातियान भील निवासी दूल्हेपुरा तहसील व जिला बूंदी।
6 शंकरलाल पुत्र गुलाबबाई जातियान भील निवासीगण दूल्हेपुरा तहसील व जिला बूंदी।
7 धापूबाई बेवा छोगा जाति भील निवासी ग्राम लोईचा तहसील व जिला बूंदी–राज0।
8 रामलाल आत्मज छोगा जाति भील निवासी ग्राम लोईचा तहसील व जिला बूंदी–राज0।
9 लटूद आत्मज छोगा जाति भील निवासी ग्राम लोईचा तहसील व जिला बूंदी–राज0।
10 रामभरोस आत्मज छोगा जाति भील निवासी ग्राम लोईचा तहसील व जिला बूंदी–राज0।
11 नंदूबाई पुत्र छोगा पत्नी प्रकाश जाति भील निवासी दूल्हेपुरा तहसील व जिला बूंदी।
12 शांतिबाई पुत्री छोगा पत्नी भंवरलाल जाति भील निवासी अनोपपुरा।
13 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री विनय कुमार सक्सेना अभिभाषक अपीलाट्स
श्री हेमराज मीणा अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 लगा0 6
श्री महावीर प्रसाद बैरवा अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–7 लगा0 12

निर्णय

दिनांक 23.10.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 17/2015 अन्तर्गत धारा 135 (2) एलआरएक्ट उनवान रामी बाई बनाम डाली बाई वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 11.8.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि रामीबाई द्वारा नामा0 सं0 434 दिनांक 31.5.2000 ग्राम लोईचा से अप्रसन्न होकर अपील न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी के यहां पेश की गई जिसे दिनांक 24.11.2014 को स्वीकार कर नामान्तरकरण को निरस्त कर मृतक खातेदार देव्या के विधिक वारिसान के नाम नये सिरे से नियमानुसार फोती नामा0 तस्दीक करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। परीक्षण

न्यायालय तहसीलदार बूंदी ने मृतक देव्या के वारिसान रामीबाई, डालीबाई, बद्रीबाई पुत्रिया देव्या हिस्सा 3/4 सा0 सुन्दरपुरा एंव मृतक पुत्री गुलाबबाई के स्थान पर गीताबाई, फोरीबाई पुत्रिया मथुरालाल व शंकरलाल पुत्र मथुरालाल हि0 1/4 सा0 ग्राम दूल्हेपुरा बूंदी कौम भील के नाम खातेदारी दर्ज करने का दिनांक 11.8.2015 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर रामा, कंवरिया द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय का आदेश कानून एंव तथ्यो के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर बूंदी के निर्णय दिनांक 24.11.2014 के पश्चात अपीलांट को कोई सूचना नही दी ना ही नोटिस जारी किया गया। सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। देव्या उर्फ देवी लाल जाति से भील है अनुसूचित जन जाति मे आते है अनुसूचित जनजाति मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है बल्कि पुराने हिन्दू विधि से शासित होते है। अनुसूचित जनजाति मे मे पुत्रियों को कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही होता है। पुत्रिया विरासत मे पिता की सम्पत्ति प्राप्त नही करती है केवल पुरूष ही मृतक के वारिस होता है अपीलांट एवं मृतक छोगा देव्या उर्फ देवीलाल के सगे भाई है इस कारणा वे ही देव्या के वास्तविक उत्तराधिकारी होने से नामा0 उनके नाम ही खोला जाना चाहिये था जो अधीनस्थ न्यायालय ने नही खोलकर त्रुटि की है इस कारण जेरअपील निर्णय निरस्तनीय है। उक्त भूमि अपीलांट ही छोगा की मृत्यु पश्चात छोगा के वारिसान की सहमति से गत 40 वर्षो से निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि के संबध मे कब्जे की कोई जांच नही की। जेरअपील आदेश की जानकारी पटवारी हल्का के बताने पर दिनांक 19.9.2016 को प्राप्त होने पर अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रा0 पत्र के साथ पेश है अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.8.2015 अपास्त किया जावे तथा मृतक देव्या के स्थान पर उसके भाई अपीलांट के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर कि रामीबाई द्वारा नामा0 सं0 434 दिनांक 31.5.2000 ग्राम लोईचा को न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी के यहां चुनोती दी गई जिसे दिनांक 24.11.2014 को स्वीकार कर नामान्तरकरण को निरस्त कर मृतक खातेदार देव्या के विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से फोती नामा0 तस्दीक करने हेतु प्रकरण तह0 बूंदी को रिमांड किया गया। तहसीलदार बूंदी की पत्रावली मे उपलब्ध आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण मे वारिसान के संबध मे पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर आदेशिका दिनांक 10.7.2015 के अनुसार प्रकरण मे दि0 11.8.2015 निर्णय हेतु नियत करदी गई इस प्रकार स्पष्ट है कि तहसीलदार बूंदी द्वारा अपीलार्थी को को ना तो नोटिस जारी किया गया ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अतः तहसीलदार बूंदी द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दि0 11.8.2015 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बहस मे आगे बताया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय गुणावगुण पर आधारित नही है दूसरे पक्ष को भी नही सुना गया। रेस्पो0 1 लगायत 4 देव्या भील जाति से है जो अनुसूचितजन जाति मे आते है अनुसूचित जनजाति मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है बल्कि इनके अधिकार पुराने हिन्दू विधि से शासित होते है। इनको भी अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर दिये बगेर निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि रेस्पो0 1 लगायत 6 न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 24.11.2014 मे उपस्थित थे। मृतक देव्या के वारिसान केवल 4 पुत्रिया रामीबाई, डालीबाई, बद्रीबाई एव मृतक गुलाबबाई है तथा भाई गगूल्या व छोगा थे। मृतक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तथा अनुसूचित जन जाति मे पिता की सम्पत्ति मे पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है ऐसी स्थिति मे मृतक देव्या की विरासत का नामान्तरकरण गंगूल्या के वारिसान के नाम तस्दीक किया जाना चाहिये था जबकि तहसीलदार ने उसकी पुत्रियों के नाम कर कानूनी त्रुटि की है। अपने कथन

के समर्थन मे आरआरटी 2014(1) पेज 624 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः पत्रावली का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा जेरअपील आदेश उसकी अनुपस्थिति मे पारित किया जाना वर्णित करते हुये जेरअपील आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.9.2016 को बताने पर होना वर्णित कर अपील के साथ विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं इस आशय का स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रा0 पत्र/शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो का रेस्पो0 द्वारा खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 24.11.2014 के परिपेक्ष्य मे परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बूंदी द्वारा मृतक देव्या पुत्र बाला भील के वारिसान की आदेशिका दिनांक 30.7.2015 के अनुसार पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण मे आगामी तारीख 11.8.2015 निर्णय हेतुं नियत करते हुये दिनांक 11.8.2015 को जेरअपील निर्णय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति मे पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे जिला कलक्टर बूंदी ने रामीबाई द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण सं0 434 को निरस्त करते हुये मृतक खातेदार देव्या के विधिक वारिसान के नाम नये सिरे से नियमानुसार फोती नामा0 तस्दीक करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बूंदी के यहां प्रतिप्रेषित किया गया था ऐसी स्थिति मे परीक्षण न्यायालय को विधिवत उभय पक्षकारान को नोटिस जारी कर तथा सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित था। परीक्षण न्यायालय के निर्णय मे उक्त तथ्यो का अभाव रहा है जबकि विधि के सारवान प्रश्न को विरचित करना आज्ञापक है। अतः प्रश्नगत प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट के इस तर्क की पुष्टि होती है तहसीलदार बूंदी द्वारा जेरअपील निर्णय 11.8.2015 पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है जो नेचुरल जस्टिस के विपरीत है। अतः उक्त तथ्यो के आलोक मे हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 11.8.2015 को न्यायोचित नही पाते है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार बूंदी द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 11.8.2015 अपास्त किया जाता है। उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बूंदी को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा